राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या 593/2016/जोधपुर
मैसर्स पिन्नू इण्डस्ट्रीज
पाली — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,प्रतिकरापवंचन,आबूरोड — प्रत्यर्थी

2.अपील संख्या 594/2016/जोधपुर
मैसर्स मयूर फेल्ट
पाली — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,प्रतिकरापवंचन,आबूरोड — प्रत्यर्थी

3.अपील संख्या 595/2016/जोधपुर
मैसर्स मरूधर फेबटैक
पाली — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय,प्रतिकरापवंचन,आबूरोड — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.वी.सोनी
अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 25.04.2017

निर्णय

ये तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय प्राधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 6,7 व 8/आरवेट/पाली/2015–16 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 28.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें सहायक वाणिज्यि कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,आबूरोड (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकार कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत पृथक–पृथक शास्ति आदेश दिनांक 29.04.2015 को पारित करते हुए क्रूमशः शास्ति रू. 55,955/– रू. 46,500/– व रू. 58,006/–आरोपित की हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.04.2015 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान वाहन संख्या जी.जे.01–डी टी 5906 को मावल (आबूरोड) पर रूकवाया कर वाहन में वहनित माल रबड गुडस से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र

वैट–47 संख्या 4814602, घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4213958 व घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814065 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814602, घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4213958 व घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814065 के समस्त कॉलम पूर्ण रूपेण रिक्त हैं तथा दिनांक, माह एवं मूल्यांकन क कालम्स बिना पंच किये हुए हैं। उक्त प्रकार के तथ्य पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों के अभाव में अधिनियम की धारा 76(5) के अन्तर्गत माल को निरूद्ध किया गया । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत क्रमशः शास्ति रू. 55,955/–, रू.46,500/– व रू. 58,006/–आरोपित की गई। उक्त आरोपित शास्तियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की हैं, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थियों द्वारा ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में अण्डर प्रोटेस्ट विभागीय प्रताडनाओं से बचने के लिए नए घोषणा पत्र वैट–47 सम्पूर्ण विवरण भरे जाकर प्रस्तुत कर दिये गये थे, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल्स (2001) 124 एस टी सी 611 के परिप्रेक्ष्य में नियमों की पालना मानी गयी है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसको बाद की सोची हुई युक्ति मानकर अस्वीकार कर दिये गये हैं। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की व्याख्या अनुसार यदि वैट–47 संलग्न किये जाने की आवश्कता भी है तो बिना छानबीन एवं जांच पडताल के तकनीकी कारणों पर बिना दोषी मनोभाव प्रमाणित किये शास्ति आरोपण करना अनुचित है। उनका कथन है कि परिवहन के दौरान मांगे जोन पर वाहन चालक के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये अर्थात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण दस्तावेज मौके पर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तत कर दिये गये थे जिसमें माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम, पते माल की तादात,किस्म, वाहन नम्बर,जी आर नम्बर आदि उपलब्ध थे, केवल माल अन्य दस्तावेजों के अनुसार वैट–47 की कुछ सूचनायें माल प्रेषक के द्वारा वैट 47 में अंकित नही की गयी थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी की जानकारी में आते ही कि वैट–47 अपूर्ण है, एक अन्य वैट–47 सम्पूर्ण सूचनायें भरकर नोटिस के जवाब के साथ कर निर्धारण अधिकारी

के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।,इसलिए उनका कथन है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी का कोई दोषी मनोभाव नही होने से मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी व अन्य निर्णय दिनांक 3.5.2007 लागू नहीं होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मेटल्स (124 एसटी सी 611) लागू होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है, जो अविधिक है। उक्त कथन के आधार पर अपीले स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 अपूर्ण होने कारण कर निर्धारण अधिकारी नोटिस जारी किये जाने पर, उसकी पालना में अन्य घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत करना बाद की सोच (after thought) है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत का 30 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई है, जो उचित है। उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 अपूर्ण होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्तियां आरोपित की है, जिनको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2015 को पारित कर यथावत रखा है ।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814602, घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4213958 व घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814065 पाये गये हैं,जो पूर्णतः रिक्त हैं। अपीलार्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक ने कथन के दौरान वक्त जांच पाये गये घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814602, घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4213958 व घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4814065 के स्थान पर नोटिस के जवाब में नये घोषणा पत्र पत्र भरकर प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी पी मेटल्स के प्रकरण में में प्रतिपादित मत के आलोक उचित बताते हुए आरोपित शास्तियों को अविधिक बताया है। जबक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी पी मेटल के

निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि वक्त जांच कोई दस्तावेज भूलवश प्रस्तुत नहीं किया गया है तो सुनवाई का अवसर प्रदान करने पर उसे प्रस्तुत करने पर स्वीकार किये जाने का मत अभिनिर्धारित किया है यानी जब माल रवाना किया गया उस समय वह दस्तावेज तैयार था और भूलवश या तो पीछे छूट गया या वाहन चालक की गलती से रह गया, और वह प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वीकार्य है किन्तु हस्तगत प्रकरणों में वक्त जांच जो घोषण पत्र वैट–47 प्रस्तुत किये गये है वह पूर्णरूप से रिक्त है और जवाब के साथ नये घोषणा पत्र वैट–47 पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्तुत किये गये हैं अर्थात नये घोषणा पत्र वक्त जांच तक तैयार नहीं थे इसलिए हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी पी मेटल में पारित निर्णय लागू नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी पी मेटल में पारित किये गये निर्णय का सारगर्भित अंश उद्धृत किया जाना समीचीन है :–

"If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce"the same".

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त जांच पाया गया परिवहनित माल रबड ब्लेकेन्ट कर योग्य एवं अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है जिसके परिवहन के समय पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट–47 होना आज्ञापक है, जिनके अभाव में शास्ति आकर्षित होती है। हस्तगत प्रकरणो में सुनवाई का समय प्रदान करने पर नये पूर्ण रूप से भरे हुए घोषणा पत्र वैट–47 संख्या ए 4814603, ए 4213959 व ए 4814066 प्रस्तुत कियेय गये । जांच के बाद नोटिस की पालना में नये घोषणा पत्र प्रस्तुत करना बाद की सोच है, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में प्रतिपादित मत के अनुसार शास्ति आकर्षित होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शास्तिया आरोपित की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रकरण के तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित मत का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात आरोपित शास्तियों को यथावत रखा है, जिसमें यह पीठ किसी हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 28.10.2015 की पुष्टि करत`हुए प्रस्तुत तीनों अपीलीं अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य